पत्र संख्या– आई0एम0सी0/मु0/2021–22/ 327 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल)

लखनऊ::दिनांक:: 23 दिसम्बर :: 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 21.12.2021 को कमिश्नर महोदया की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान GSTR 2B में दर्शित आई0टी0सी0 एवं GSTR3B में समायोजित की गयी आई0टी0सी0 में मिसमैच की समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान कतिपय जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय प्रकरणों में उक्त मिसमैच बोगस फर्मों की वजह से है, जिसके क्रम में बैठक के दौरान कमिश्नर महोदया द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन जोन में उक्त मिसमैच का कारण बोगस फर्में रही हैं, यदि इन बोगस फर्मों का प्रकरण REIC को सन्दर्भित किया जाना अपेक्षित हो तो, ऐसे प्रकरणों को REIC को सन्दर्भित किया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है उक्त मिसमैच के परिप्रेक्ष्य में जिन बोगस फर्मों से सम्बन्धित प्रकरणों को REIC को सन्दर्भित किया जाना अपेक्षित हो, ऐसे समस्त प्रकरणों को पूर्व में आई0एम0सी0, वाणिज्य कर मुख्यालय से प्रेषित पत्र संख्या–235 दिनांक 07.09.2021 के साथ संलग्न REIC Form-1 में भरकर मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे समय–समय पर आयोजित REIC की बैठकों में ऐसे प्रकरणों को साझा किया जा सके।

23/12/2021

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।